







वेबक क्रमांक 05

दिनांक 06/07/2022

आज दिनांक 06/07/2022 दिन बुधवार को समय 11:30 बजे कक्षा क्रमांक 04 में प्राचार्य की अध्यक्षता में अनुसूचित छात्र, अनुसूचित जनजाति समिति के पदाधिकारियों की आवश्यक वेबक का आयोजन किया गया। जिसमें नये सत्रांश के प्रारंभ में अनुसूचित छात्र, अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के नये नियम से संबंधित जानकारी प्रदान की गई एवं इसकी सूचना, सूचना पत्र पर इसकी एक प्रति चरपा किया गया।







अनुसूचित छात्र, अनुसूचित जनजातीय समिति-

- (1) डॉ. पन्मालाल यादव प्राचार्य (संरक्षक) - 
- (2) श्री रूपेन्द्र डहरिया (सहा. प्रा. शिक्षा) अध्यक्ष - 
- (3) सुखी संगीता अग्रवाल (सहा. प्रा. वाणिज्य) सदस्य - 
- (4) निहाल मरकाम (छात्र) सदस्य - 
मो. 7000214785
- (5) चंचल नेताम (छात्रा) सदस्य - चंचल नेताम
मो. 7000910103
- (6) रेशनी (छात्रा) सदस्य - 
मो. 9340732654
- (7) दिवेश कुमार बेंबोर (छात्र) सदस्य - 
मो. 78002557

बैठक क्रं. 06


दिनांक 31/10/2022


आज दिनांक 31/10/2022 को समय 12:30 वाजे कक्षा क्रमांक 04 में महाविद्यालय के विभिन्न संकायों के विभागाध्यक्ष एवं सहायक प्राध्यापकों व संबंधित कंप्यूटर अपरेटर की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2022-23 अन्तर्गत आर. ए. एन. ए. के छात्र/छात्राओं की ऑनलाइन छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक 31/10/2022 तक आर्जिवार्थ उप से पूर्ण करने पर चर्चा की गई।

- 1) डॉ. पन्नालाल शर्मा प्राचार्य (संरक्षक) 
- 2) श्रीरूपेन्द्र इंदरिया (पदाध्या.) 
- 3) सुश्री संगीता अग्रवाल 
- 4) श्रीमति गीतिका तिवारी 
- 5) श्रीमति प्रीति शर्मा 
- 6) सुश्री विनिता अग्रवाल 

चर्चा का विषय - छात्रवृत्ति स्वीकृति दिये गये समय में पूर्ण करना।

निर्णय - छात्रों को छात्रवृत्ति कार्य पूर्ण ऑनलाइन भरकर समय में छात्रवृत्ति स्वीकृति पूर्ण किया जा सके।


President
SC/ST Committee
Samadhan College, Bemetara (C.O.)


Principal
Samadhan College, Bemetara
(CHHATTISGARH) 491335

बैठक क्र. 07

दिनांक 28/04/2023

आज दिनांक 28/04/2023 को समय 11:30 बजे कक्षा क्रमांक 04 में महाविद्यालय के विभिन्न संकाय के सहायक प्राध्यापकों एवं विभागाध्यक्ष एवं संबंधित कम्प्यूटर आफर की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें लैट से एडमिशन हुए विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य राशे विधि पर चर्चा की गई।

- 1) डॉ. पन्ना लाल यादव प्राचपि
- 2) श्री रुपेन्द्र उदरिया
- 3) सुश्री संगीता अग्रवाल
- 4) श्रीमति गीष्ठी तिवारी
- 5) श्रीमति प्रीति शर्मा
- 6) सुश्री विनिता अग्रवाल

चर्चा का विषय - छात्रवृत्ति विधि लक्ष्य के संबंध में।

निर्णय - छात्र, छात्राओं की विनका एडमिशन लैट से ही होगा है ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की सूचना दी गई।

[Signature]

President
SC/ST Committee
Samadhan College, Bemetara (C.G.)

[Signature]

Principal
Samadhan College, Bemetara
(CHHATTISGARH) 491335

दिनांक 07/06/2023

आज दिनांक 07/06/2023 को समय 11:30 बजे कुछ क्रमांक 04 में छात्रों की अध्यापना में पदाधिकारियों का आवश्यक बैठक रखा गया जिसमें छात्रवृत्ति के पात्र छात्रा-छात्रों को आधार सीटिंग विन छात्र-छात्रों का नहीं है। उनके तत्काल आधार सीटिंग कराने की सूचना दी गई।

आधार सीटिंग नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थियों द्वारा डाक्टर में बैठकर खाली खोलने पर भी तत्काल खाली सिंग हो जाता है। इसकी भी सूचना दी गई।

- (1) डॉ. पन्नालाल यादव (सचिव) 3/4
- (2) श्री रूपेन्द्र उहरिया - 3/4
- (3) श्रीमती - गीता देवी तिवारी 3/4
- (4) श्रीमती चंभीला अग्रवाल - 3/4
- (5) श्रीमती प्रीति शर्मा - 3/4
- (6) श्रीमती धीनिला अग्रवाल - 3/4

3/4
President
SC/ST Committee
Samadhan College, Bemotara (C.G.)

3/4
Principal
Samadhan College, Bemotara
(CHHATTISGARH) 491335

Principal
Samadhan College, Bemotara
(CHHATTISGARH) 491335

President
SC/ST Committee
Samadhan College, Bemotara (C.G.)

-:: कार्यालय कलेक्टर, बेमेतरा (छ.ग.) :: -

11 आदिवासी विकास शाखा 11

फैक्स-07824-222105 ई-मेल-actwd.bemetara@gmail.com

क्रमांक / 758 / आ.जा.क./पो0मै0ऑन0 छात्र0/8/2022-23
प्रति,

बेमेतरा,दिनांक 17.08.2022

सहायक संचालक,
जनसंपर्क

विषय :- जिला - बेमेतरा (छ.ग.)
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) वर्ष 2022-23 की ऑनलाइन स्वीकृति संबंधी प्रेस विज्ञापित जिले के स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करने बाबत।

संदर्भ :- आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, नवा रायपुर का पृ. क्र./आ.ला.पो.मै.छा./131/22-23/5591 दिनांक 12.08.2022

—000—

कृपया विषयांतर्गत विज्ञापित को जिले में प्रकाशित होने वाले दो स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार तीन दिवस तक प्रकाशित कराने का कष्ट करे जिससे जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कालेज, आई. टी. आई. एवं पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पांस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2022-23 में छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन पोस्ट पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/वेबसाइट> पर ऑनलाईन की जा रही है। महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश विलम्ब से प्रारंभ होने तथा परीक्षा परिणाम घोषित नही होने के फलस्वरूप तिथि में वृद्धि की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं संस्थाओं को प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा विद्यार्थियों हेतु वर्ष 2022-23 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गई है :-

क्र.	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा आनलाइन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण)	16.08.2022 से 30.09.2022 तक
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	16.8.2022 से 10.10.2022 तक
3	Sanction Order Lock करने हेतु	16.08.2022 से 20.10.2022 तक
4	प्रस्ताव/स्वीकृति जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 21.10.2022 तक

निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2022-23 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे एवं Draft Proposal Lock, Sanction Order Lock अथवा Disburse करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

नोट :-

1. इस कार्यालय के पूर्व में जारी विज्ञापन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को National Scholarship Portal पर पंजीयन करने हेतु निर्देशित किया गया था। भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के नये निर्देशानुसार अनुसूचित जाति वर्ग के सभी विद्यार्थियों को केवल राज्य पोर्टल पर ही आवेदन किया जाना है। पूर्व में जिन विद्यार्थियों द्वारा National Scholarship Portal पर आवेदन किया जा चुका है उन विद्यार्थियों को भी पुनः राज्य पोर्टल पर आवेदन किया जाना है।
2. वर्ष 2021-22 से छात्रवृत्ति का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जा रहा है। PFMS द्वारा आधार आधारित भुगतान की जा रही है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय आधार से लिंक बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

(श्रीमती मेनका चन्द्राकर)


सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास, जिला-बेमेतरा

पृ. क्रमांक / 759 / आ.जा.क./पो0मै0ऑन0 छात्र0/8/2022-23
प्रतिलिपि :-

बेमेतरा,दिनांक 17.08.2022

1. आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर छ.ग. को उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला बेमेतरा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्राचार्य/संस्था प्रमुख/शास./अशास./
.महाविद्यालय/जि.शि.प्र.सं./आई.टी.आई./
वि.ख. बेमेतरा/बेरला/साजा/नवागढ़ जिला बेमेतरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास,जिला-बेमेतरा

-:: कार्यालय कलेक्टर, बेमेतरा (छ.ग.) :: -

॥ आदिवासी विकास शाखा ॥

फैक्स-07824-222105 ई-मेल-actwd.bemetara@Gmail.com

कमांक / 1138 / आ.जा.क. / अ.सं.छा. / 09 / 2022
प्रति,

बेमेतरा, दिनांक 27.10.2022

उपसंचालक
जनसंपर्क

जिला - बेमेतरा (छ.ग.)

विषय :- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को प्री.मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट-कम मीन्स छात्रवृत्ति वर्ष 2022-23.

संदर्भ :- आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पृ. क्र./अ.सं./न.क्र.-001/2022-23/7328 दिनांक 18.10.2022

—000—

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि प्री, पोस्ट एवं मेरिट-कम-मीन्स अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कम विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के कारण इन योजनाओं हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए निम्नानुसार अंतिम तिथि में वृद्धि किया गया है जो निम्नानुसार है :-

क्र.	योजना का नाम	आनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि
1	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	31.10.2022
2	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	
3	मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति	

अतः अंतिम तिथि की सूचना विद्यार्थियों तथा संस्था प्रमुखों को प्राप्त हो सके साथ ही अनुरोध है कि जिला स्तरीय व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिले में प्रकाशित होने वाले दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(श्रीमति मेनका चन्द्राकर)

सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास, जिला-बेमेतरा
बेमेतरा, दिनांक 27.10.2022

कमांक / 1139 / आ.जा.क. / अ.सं.छा. / 09 / 2022
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर छ.ग. की ओर संदर्भित पत्र क्र. 7328 दिनांक 18.10.2022 के पारिपालन में सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला बेमेतरा की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बेमेतरा की ओर सूचनार्थ एवं अपने अधिनस्थ सर्व संस्थाओं को उक्त योजना के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ शत प्रतिशत आवेदन किया जावे ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को उक्त योजना का लाभ मिल सके, आप अपने स्तर से आपके अधिनस्थ संस्थाओं को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।
4. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बेमेतरा/बेरला/साजा/नवागढ़, की ओर सूचनार्थ एवं अपने अधिनस्थ सर्व संस्थाओं को उक्त योजना के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ शत प्रतिशत आवेदन किया जावे ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को उक्त योजना का लाभ मिल सके, आप अपने स्तर से आपके अधिनस्थ संस्थाओं को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।
5. सर्व प्राचार्य/अधीक्षक/ शास./अशास/आई.टी.आई/पॉलीटेक्निक/ महाविद्यालय, विकास खण्ड बेमेतरा, बेरला, साजा, नवागढ़, जिला बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास, जिला-बेमेतरा

कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, ब्लाक-डी (मू-तल) अटल नगर, जिला रायपुर (छ0ग0)
☎ - 2263708, 2262558 Fax - 2262558

Email Id - pmscstobc@gmail.com

क्रमांक / ऑ.ला.पो.मे.छा. / 131 / 2022-23 / 7894

रायपुर, दिनांक 09/11/2022

प्रति,

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
तृतीय तल, इन्द्रावती भवन
अटल नगर, नवा रायपुर

संचालक
तकनीकी शिक्षा
ब्लाक-03, इन्द्रावती भवन
नवा रायपुर, छ0ग0

संचालक
चिकित्सा शिक्षा
Old Nurses Hostel
DKS Building campus
Raipur, Chhattisgarh

संचालक
रोजगार एवं प्रशिक्षण
इन्द्रावती भवन
अटल नगर, नवा रायपुर

विषय :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है। भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के नवीन गाईड लाईन अनुसार वर्ष 2021-22 से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु नवीन पोर्टल का निर्माण/संचालन एन.आई.सी. रायपुर द्वारा किया जा रहा है। भारत शासन द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पंजीयन/स्वीकृति एवं भुगतान हेतु तिथि निर्धारित कर दी जाती है।

छ0ग0 राज्य में आई.टी.आई., महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में एडमिशन विलम्ब से होने तथा परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने के कारण जिलों एवं संस्थाओं से प्राप्त सूचना के आधार पर पोर्टल विद्यार्थियों के आवेदन/पंजीयन हेतु प्रथम समय दिनांक 10.06.2022 से दिनांक 15.07.2022, द्वितीय समय दिनांक 16.08.2022 से दिनांक 30.09.2022 एवं तृतीय समय दिनांक 01.10.2022 से दिनांक 25.10.2022 तक खोला गया।

वर्तमान पोर्टल के अवलोकन करने पर पाया गया कि छात्रवृत्ति स्वीकृति की प्रगति संतोषजनक नहीं है तथा छात्रवृत्ति कार्य में शासकीय/अशासकीय संस्थाओं द्वारा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास (जिला कार्यालय) से समन्वय स्थापित नहीं किया जाता है। जिसके कारण समयावधि में कार्य का सम्पादन पूर्ण किये जाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के संस्था प्रमुखों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जाने तथा जिला कार्यालय से समन्वय स्थापित करने हेतु निर्देशित करें जिससे समयानुसार छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सकें, साथ ही भारत सरकार द्वारा विभाग के पोर्टल पर संस्थाओं के पंजीयन हेतु AISHE & UDISE Code की अनिवार्यता सुनिश्चित कर दी गई है। अतः जिन संस्थाओं के पास उक्त Code नहीं है उन्हें तत्काल प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि उन संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित न हो सकें।

(श्रीमती शम्मी आबिदी)
आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, छ0ग0

//2//

पृ०क्र०/ऑ.ला.पो.मै.छा./131/2022-23/7895
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 09/11/2022

1. सचिव, छ०ग० शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ०ग० शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. सचिव, छ०ग० शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर जिलाकी ओर सूचनार्थ लेख है कि जिलों में आयोजित समय-सीमा की बैठक में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पंजीयन एवं स्वीकृति की समीक्षा प्रति सप्ताह करने का कष्ट करें।
6. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिलाकी ओर सूचनार्थ।

आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, छ०ग०

क्रमांक /1225 /आ.जा.क./ अ.सं.छा./09/2022
प्रति,

बेमेतरा, दिनांक 09.11.2022


उपसंचालक
जनसंपर्क
जिला - बेमेतरा (छ.ग.)
विषय :- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को प्री.मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट-कम मीन्स छात्रवृत्ति वर्ष 2022-23.

—000—

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि प्री. पोस्ट एवं मेरिट-कम-मीन्स अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कम विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के कारण इन योजनाओं हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए निम्नानुसार अंतिम तिथि में वृद्धि किया गया है जो निम्नानुसार है :-

क्र.	योजना का नाम	आनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि
1	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	15.11.2022
2	बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	
3	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	30.11.2022
4	मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति	


अतः अंतिम तिथि की सूचना विद्यार्थियों तथा संस्था प्रमुखों को प्राप्त हो सके साथ ही अनुरोध है कि जिला स्तरीय व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिले में प्रकाशित होने वाले दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।


(श्रीमति मेनका चन्द्राकर)
सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास, जिला-बेमेतरा
बेमेतरा, दिनांक 09.11.2022

क्रमांक /1226 /आ.जा.क./ अ.सं.छा./09/2022
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला बेमेतरा की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बेमेतरा की ओर सूचनार्थ एवं अपने अधिनस्थ सर्व संस्थाओं को उक्त योजना के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ शत प्रतिशत आवेदन किया जावे ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को उक्त योजना का लाभ मिल सके, आप अपने स्तर से आपके अधिनस्थ संस्थाओं को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।
4. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बेमेतरा/बेरला/साजा/नवागढ़, की ओर सूचनार्थ एवं अपने अधिनस्थ सर्व संस्थाओं को उक्त योजना के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ शत प्रतिशत आवेदन किया जावे ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को उक्त योजना का लाभ मिल सके, आप अपने स्तर से आपके अधिनस्थ संस्थाओं को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।
5. सर्व प्राचार्य/अधीक्षक/ शास./अशास/आई.टी.आई/पॉलीटेक्निक/ महाविद्यालय, विकास खण्ड बेमेतरा, बेरला, साजा, नवागढ़, जिला बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास, जिला-बेमेतरा

-:: कार्यालय कलेक्टर, बेमेतरा (छ.ग.) :: -

॥ आदिवासी विकास शाखा ॥

फैक्स-07824-222105 ई-मेल-actwd.bemetara@Gmail.com

कमांक /1395 /आ.जा.क./पो0मै0ऑन0 छात्र0/8/2022

बेमेतरा,दिनांक 07.12.2022

प्रति,

प्राचार्य/संस्था प्रमुख

शास./अशास./

महाविद्यालय/ जि.शि.प्र.सं./ पॉलीटेक्नीक/आई.टी.आई.

विकास खण्ड - बेमेतरा/बेरला/साजा/नवागढ़

जिला - बेमेतरा (छ.ग.)

विषय :- अनु.जाति, जनजाति, एवं अ.पि.वर्ग पोस्ट मैट्रिक ऑनलाइन छात्रवृत्ति वर्ष 2022-23 के संबंध में कार्यशाला आयोजन बाबत।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन नया रायपुर में आयोजित प्रशिक्षण दिनांक 30.11.2022 को दिये गये आदेशानुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु दिनांक 09.12.2022 को समय दोपहर 2:00 बजे समाधान महाविद्यालय, समृद्धि विहार, बेरला रोड बेमेतरा में प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। कृपया उक्त प्रशिक्षण में छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति प्रभारी/लिपिक एवं कम्प्यूटर.ऑपरेटर एजेण्डा बिन्दु की जानकारी सहित अनिवार्यतः उपस्थिति सुनिश्चित करायी जावें।

संलग्न :- एजेण्डा ।

(श्रीमती मेनका चन्द्राकर)

सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास,जिला-बेमेतरा

बेमेतरा,दिनांक 07.12.2022

पृ.कमांक /1396 /आ.जा.क./पो0मै0ऑन0 छात्र0/8/2022
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला बेमेतरा की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. श्री रोशन साहू, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी, शास. पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास बेमेतरा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास,जिला-बेमेतरा

:-: कार्यालय कलेक्टर, बेमेतरा (छ.ग.) :-
11 आदिवासी विकास शाखा 11

फैक्स-07824-222105 ई-मेल-actwd.bemetara@gmail.com

क्रमांक /1577 /आ.जा.क./पो0मै0ऑन0 छात्र0/8/2022-23
प्रति.

बेमेतरा,दिनांक 05/01/2023

सहायक संचालक,
जनसंपर्क
जिला - बेमेतरा (छ.ग.)
विषय :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर)
वर्ष 2022-23 की ऑनलाइन स्वीकृति संबंधी प्रेस विज्ञापि जिले के स्थानीय समाचार पत्र में
प्रकाशित करने बाबत।
संदर्भ :- आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, नवा
रायपुर का पृ. क्र./आ.ला.पो.मै.छा./131/22-23/10850 दिनांक 03.01.2023

—000—

कृपया संदर्भित विषयांतर्गत विज्ञप्ति को जिले में प्रकाशित होने वाले दो स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार तीन दिवस तक प्रकाशित कराने का कष्ट करे जिससे जिले एवं राज्य के बाहर अध्ययनरत् (जिले के निवासी) जो शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कालेज, आई. टी. आई. एवं पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पांस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2022-23 में छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन पोस्ट पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/वेबसाइट> पर ऑनलाईन की जा रही है।

जिले में संचालित कुछ पाठ्यक्रमों की महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश विलम्ब से प्रारंभ होने तथा परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने तथा राज्य के बाहर अध्ययनरत् (जिले के निवासी) हेतु आवेदन/पंजीयन हेतु तिथि में वृद्धि की जा रही है साथ ही विद्यार्थियों के पंजीयन एवं संस्थाओं को प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु निम्नानुसार तिथि में वृद्धि की जा रही है :-

क्र.	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा आनलाइन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण)	03.01.2023 से 30.01.2023 तक
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	03.01.2023 से 10.02.2023 तक
3	Sanction Order Lock करने हेतु	03.01.2023 से 20.02.2023 तक

निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2022-23 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे एवं Draft Proposal Lock, Sanction Order Lock अथवा Disburse करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

नोट :-

वर्ष 2022-23 से छात्रवृत्ति का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जा रहा है। PFMS द्वारा आधार आधारित भुगतान की जा रही है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

(श्रीमती मेष्का चन्द्राकर) 05/01/2023

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास, जिला-बेमेतरा
बेमेतरा, दिनांक

पृ. क्रमांक /1578 /आ.जा.क./पो0मै0ऑन0 छात्र0/8/2022-23
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर छ.ग. को उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला बेमेतरा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सर्व संस्था प्रमुख, वि.ख. बेमेतरा/वेरला/साजा/नवागढ जिला बेमेतरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास, जिला-बेमेतरा
05/01/2023

-:: कार्यालय कलेक्टर, बेमेतरा (छ.ग.) :: -

11 आदिवासी विकास शाखा 11

फैक्स-07824-222105 ई-मेल-actwd.bemetara@Gmail.com

कमांक /1602 /आ.जा.क./पो0मै0ऑन0 छात्र0/8/2023

बेमेतरा,दिनांक 13/01/2023

प्रति,

प्राचार्य/संस्था प्रमुख

शास./अशास./

महाविद्यालय/ जि.शि.प्र.सं./ पॉलीटेक्नीक/आई.टी.आई./

विकास खण्ड - बेमेतरा/बेरला/साजा/नवागढ़

जिला - बेमेतरा (छ.ग.)

विषय :-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक ऑनलाइन छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) के संबंध में।

संदर्भ :-

आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन नवा रायपुर का विडियो कानफ्रेन्स (गुगल मिट) दिनांक 10.01.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन नवा रायपुर विडियो कानफ्रेन्स (गुगल मिट) दिनांक 10.01.2023 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक ऑनलाइन छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) हेतु विद्यार्थियों का बैंक खाता नंबर उनके आधार नंबर से सिडिंग होना अनिर्वाय हैं। छात्रवृत्ति पोर्टल पर Login कर Report Option में Aadhar Seeding Inactive Students Report में जिन विद्यार्थियों का आधार सिडिंग नहीं हुआ है उनकी सूची दिया गया है।

अतः सर्व संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों का Aadhar Seeding Inactive है, उन विद्यार्थियों से संपर्क कर 07 दिनस के अंदर Aadhar Seeding का कार्य करा कर जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, तांकि विद्यार्थियों के आधार सिडिंग बैंक खाता में भुगतान किया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(श्रीमती मेनका चन्द्राकर)

सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास,जिला-बेमेतरा

बेमेतरा,दिनांक 13/01/2023

पृ.कमांक /1603 /आ.जा.क./पो0मै0ऑन0 छात्र0/8/2023
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला बेमेतरा की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास,जिला-बेमेतरा

-:: कार्यालय कलेक्टर, बेमेतरा (छ.ग.) :: -

11 आदिवासी विकास शाखा 11

फैक्स-07824-222105 ई-मेल-actwd.bemetara@gmail.com

क्रमांक / 1864 / आ.जा.क./पो0मै0ऑन0 छात्र0/01/2022--23
प्रति,

बेमेतरा,दिनांक 17/02/2023

उप संचालक,
जनसंपर्क
जिला - बेमेतरा (छ.ग.)

विषय :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) वर्ष 2021-22 के असफल भुगतान संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जिले के स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करने बाबत।

संदर्भ :- आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, नवा रायपुर का पृ. क्र./आ.ला.पो.मै.छा./123/22-23/12670 दिनांक 16.02.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्ग लेख है कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) का संचालन विभागीय पोर्टल किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में छात्रवृत्ति भुगतान पश्चात् विद्यार्थियों द्वारा पोर्टल पर गलत बैंक खाता नम्बर, आई.एफ.एस.सी. कोड अंकित करने तथा बैंक खाता नम्बर अस्थायी रूप से बंद होने के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान असफल हो गया है।

ऐसे विद्यार्थी जिनको छात्रवृत्ति का भुगतान उपरोक्त कारणों से असफल हुआ है। उक्त विद्यार्थियों को दूरभाष पर मैसेज एवं ईमेल के माध्यम से सूचना प्रदाय की गई है, किन्तु आज दिनांक तक विद्यार्थियों द्वारा पोर्टल पर बैंक खाता नम्बर संशोधन नहीं किया गया है। इस हेतु जिला स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों (जिनकी पहुंच ग्रामीण अंचलों तक हो) में लगातार तीन दिवस तक प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- विज्ञप्ति।

(श्रीमती मेनका चन्द्राकर)

सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास, जिला-बेमेतरा

बेमेतरा, दिनांक 17/02/2023

पृ. क्रमांक / 1865 / आ.जा.क./पो0मै0ऑन0 छात्र0/01/2022-23
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर छ.ग. को उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला बेमेतरा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सर्व संस्था प्रमुख विकास खण्ड बेमेतरा/बेरला/साजा/नवागढ़, जिला बेमेतरा की ओर सूचनार्थ।

सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास, जिला-बेमेतरा

-:: कार्यालय कलेक्टर, बेमेतरा (छ.ग.) :: -
11 आदिवासी विकास शाखा 11
फैक्स-07824-222105 ई-मेल-actwd.bemetara@Gmail.com

कमांक / 1866 / आ.जा.क./पो0मै0ऑन0 छात्र0/01/2022-23

बेमेतरा,दिनांक 17/03/2023


-:: प्रेस विज्ञापितः:-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) वर्ष 2021-22 के असफल भुगतान वाले विद्यार्थियों द्वारा पोर्टल पर बैंक खाता नम्बर अपडेट कर अपलोड करने के संबंध में।

—000—

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) का संचालन विभागीय पोर्टल <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/> के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में कुछ विद्यार्थियों द्वारा पोर्टल पर गलत बैंक खाता नम्बर, गलत आई. एफ.एस.सी. कोड अंकित करने तथा बैंक खाता नम्बर अस्थाई रूप से बंद होने इत्यादि कारणों से छात्रवृत्ति का भुगतान असफल हो गया है। ऐसे विद्यार्थियों को दूरभाष पर मैसेज एवं ईमेल के माध्यम से सूचना प्रदाय की गई है, किन्तु आज दिनांक तक विद्यार्थियों द्वारा पोर्टल त्रुटि का सुधार नहीं किया गया है।

अतः वर्ष 2021-22 के असफल भुगतान वाले विद्यार्थियों के लिए पोर्टल पर त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि दिनांक 10.03.2023 निर्धारित की जाती है।


(श्रीमती मेनका चन्द्राकर)

सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास, जिला-बेमेतरा

- :: कार्यालय कलेक्टर, बेमेतरा (छ.ग.) :: -

॥ आदिवासी विकास शाखा ॥

फैक्स-07824-222105 ई-मेल-actwd.bemetara@Gmail.com

कमोंक / 2123 / आ.जा.क. / पो0मै0ऑन0 छात्र0 / 8 / 2023

बेमेतरा, दिनांक 27/03/2023

प्रति,

शाखा प्रबंधक
लीड बैंक
जिला - बेमेतरा (छ.ग.)

विषय :-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक ऑनलाइन छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) हेतु विद्यार्थियों का आधार सिडिंग के संबंध में।


—000—


उपरोक्त विषयांतर्गत आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन नवा रायपुर द्वारा दिनांक 22.03.2023 को विडियो कानफ्रेन्स (गुगल मिट) में दिए गए निर्देशानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक ऑनलाइन छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) हेतु विद्यार्थियों का बैंक खाता नंबर उनके आधार नंबर से सिडिंग होना अनिवार्य हैं। लेकिन संस्थाओं एवं विद्यार्थियों तथा पालको द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ है कि छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों द्वारा अपने बैंक खाता को आधार से सिडिंग कराने जाने पर बैंको द्वारा रूचि नहीं लेने के कारण पालक एवं बच्चे अनको वार बैंक के चक्कर लगाते भटक रहे हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों का Aadhar Seeding Inactive है, उन विद्यार्थियों का 02 दिवस के अंदर Aadhar Seeding का कार्य करा कर जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, तांकि विद्यार्थियों के आधार सिडिंग बैंक खाता में भुगतान किया जा सके। जिन विद्यार्थियों का आधार सिडिंग नहीं हुआ है उनकी सूची संलग्न है।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ.कमोंक / 2124 / आ.जा.क. / पो0मै0ऑन0 छात्र0 / 8 / 2023
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. सर्व संस्था प्रमुख
..... जिला बेमेतरा की ओर सूचनार्थ।


कलेक्टर
जिला - बेमेतरा (छ.ग.)
बेमेतरा, दिनांक 27/03/2023


कलेक्टर
जिला - बेमेतरा (छ.ग.)

-:: कार्यालय कलेक्टर, बेमेतरा (छ.ग.) :: -

11 आदिवासी विकास शाखा 11

फैक्स-07824-222105 ई-मेल-actwd.bemetara@Gmail.com

क्रमांक / 30 / आ.जा.क. / पो0मै0ऑन0 छात्र0 / 8 / 2023
प्रति,

बेमेतरा, दिनांक 11/4/2023

प्राचार्य / संस्था प्रमुख
शास. / अशास. /

महाविद्यालय / जि.शि.प्र.सं. / पॉलीटेक्नीक / आई.टी.आई. /

विकास खण्ड - बेमेतरा / बेरला / साजा / नवागढ़
जिला - बेमेतरा (छ.ग.)

विषय :- वर्ष 2022-23 हेतु अनु.जाति / अनु.ज.जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के स्वीकृति के संबंध में।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक ऑनलाइन छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) हेतु विद्यार्थियों का बैंक खाता नंबर उनके आधार नंबर से सिडिंग होना अनिवार्य हैं। लेकिन आज दिनांक तक Aadhar Seeding नहीं किया गया।

अतः जिन विद्यार्थियों का Aadhar Seeding Inactive है, उन विद्यार्थियों का Aadhar Seeding का कार्य करा कर जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, ताकि विद्यार्थियों के आधार सिडिंग बैंक खाता में भुगतान किया जा सके। जिन संस्थाओं के विद्यार्थियों का Aadhar Seeding हो गया है, लेकिन पोर्टल में चेक करने पर Inactive दिखा रहा है, उन विद्यार्थियों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में बैंक की पावती सहित दिनांक 15.04.2023 तक इस कार्यालय को साफ्ट एवं हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
संलग्न :- प्रपत्र (01)।

(श्रीमती मैनेका चन्द्राकर)

सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास, जिला-बेमेतरा

बेमेतरा, दिनांक 11/4/2023

पृ.क्रमांक / 31 / आ.जा.क. / पो0मै0ऑन0 छात्र0 / 8 / 2023
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला बेमेतरा की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

(श्रीमती मैनेका चन्द्राकर)

सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास, जिला-बेमेतरा

-:: कार्यालय कलेक्टर, बेमेतरा (छ.ग.) :: -

11 आदिवासी विकास शाखा 11

फैक्स-07824-222105 ई-मेल-netwd.bemetara@gmail.com

कमांक / 93 / आ.जा.क./पो0मै0ऑन0 छात्र0 / 8 / 2022-23
प्रति,

बेमेतरा, दिनांक 27/4/2023

सहायक संचालक,
जनसंपर्क
जिला - बेमेतरा (छ.ग.)
विषय :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर)
वर्ष 2022-23 की ऑनलाइन स्वीकृति संबंधी प्रेस विज्ञापित जिले के स्थानीय समाचार पत्र में
प्रकाशित करने बाबत।
संदर्भ :- आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, नवा
रायपुर का पृ. क्र./आ.ला.पो.भे.छा./131/22-23/723 दिनांक 26.04.2023

—000—

कृपया संदर्भित विषयांतर्गत विज्ञापित को जिले में प्रकाशित होने वाले दो स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार तीन दिवस तक प्रकाशित कराने का कष्ट करे जिससे जिले एवं राज्य के बाहर अध्ययनरत् (जिले के निवासी) जो शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कालेज, आई. टी. आई. एवं पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत् है। जिनका संस्थाओं में प्रवेश विलम्ब से हुआ है तथा जिन पाठ्यक्रमों का परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित हुआ है, ऐसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2022-23 हेतु ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/वेबसाइट> पर ऑनलाइन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत पंजीयन एवं संस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु निम्नानुसार तिथि में वृद्धि की जा रही है :-

क्र.	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	छ.ग. राज्य में अध्ययनरत् विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण)	दिनांक 27.04.2023 से 03.05.2023 तक
1	छ.ग. राज्य के बाहर अध्ययनरत् (छ.ग. के निवासी) विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण)	दिनांक 04.05.2023 से 08.05.2023 तक
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 27.04.2023 से 10.05.2023 तक
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 27.04.2023 से 15.05.2023 तक

यह अंतिम अवसर विद्यार्थियों को प्रदाय किया जा रहा है। निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2022-23 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन एवं Draft Proposal Lock, Sanction Order Lock करने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।
नोट :-

वर्ष 2022-23 से छात्रवृत्ति का भुगतान PFMS के माध्यम से आधार आधारित भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

(श्रीमती मैनेका चन्द्राकर)

सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास, जिला-बेमेतरा

बेमेतरा, दिनांक 27/4/2023

पृ. कमांक / 94 / आ.जा.क./पो0मै0ऑन0 छात्र0 / 8 / 2022-23
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर छ.ग. को उनके संदर्भित पत्र दिनांक 26.04.2023 के तारतम्य में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला बेमेतरा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सर्व संस्था प्रमुख,
वि.ख. बेमेतरा/बैरला/साजा/नवागढ़ जिला बेमेतरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास, जिला-बेमेतरा

-:: कार्यालय कलेक्टर, बेमेतरा (छ.ग.) :: -

11 आदिवासी विकास शाखा 11

फैक्स-07824-222105 ई-मेल-actwd.bemetara@Gmail.com

क्रमांक / 98 / आ.जा.क./पो0मै0ऑन0 छात्र0/8/2023
प्रति,

बेमेतरा,दिनांक 2-5-2023

प्राचार्य/संस्था प्रमुख

शास./अशास./

विकास खण्ड - बेमेतरा/बेरला/साजा/नवागढ़

जिला - बेमेतरा (छ.ग.)

विषय :- पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति अखिल भारतीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जानकारी प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ :- आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन अटल नगर रायपुर का पत्र क्र./ऑ.ला.पो.मै.छा./40/2022-23/737 नवा रायपुर दिनांक 26.04.2023

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के अखिल भारतीय लेखा रिपोर्ट प्रदाय किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

(Scheduled Castes)

विन्दु क्रमांक - 3.4 Sanction of scholarship to students having parental income more than prescribed ceiling of annual income.

विन्दु क्रमांक - 3.6 Income Certificate issued by the incompetent authority.

विन्दु क्रमांक - 3.10 Duplicate beneficiaries availing scholarship in multiple schemes as well as within the same scheme in a year.

विन्दु क्रमांक - 4.4 Non -existence of data sharing mechanism between National Scholarship portal (NSP) and the State Managed potrtals.

(Scheduled Tribes)

विन्दु क्रमांक - 3.4 Sanction of scholarship to students having parental income more than prescribed ceiling of annual income.

विन्दु क्रमांक - 3.6 Income Certificate issued by the incompetent authority.

विन्दु क्रमांक - 3.10 Duplicate beneficiaries availing scholarship in multiple schemes as well as within the same scheme in a year.

विन्दु क्रमांक - 4.4 Non -existence of data sharing mechanism between National Scholarship portal (NSP) and the State Managed potrtals.

कृपया प्रकरणों का जॉच/परीक्षण कर संबंधित विद्यार्थियों की दरतावेज सहित छात्रवृत्ति शाखा प्रभारी प्रत्यक्ष उपस्थित होकर 03 दिवस के भीतर निराकृत करते हुए जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे, ताकि समय-सीमा में जानकारी उच्च कार्यालय को प्रेषित किया जा सके।

संलग्न :- एक्सल सीट।

(श्रीमती मैनका चन्द्राकर)

सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास,जिला-बेमेतरा

बेमेतरा,दिनांक 2-5-2023

पु.क्रमांक / 99 / आ.जा.क./पो0मै0ऑन0 छात्र0/8/2023
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला बेमेतरा की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास,जिला-बेमेतरा

-:: कार्यालय कलेक्टर, बेमेतरा (छ.ग.) :: -

11 आदिवासी विकास शाखा 11

फैक्स-07824-222105 ई-मेल-actwd.bemetara@gmail.com

-:: प्रेस विज्ञप्ति:-

क्रमांक / 363 / आ.जा.क. / पो0मै0ऑन0 छात्र0 / 8 / 2023

बेमेतरा, दिनांक 16/6/2023

“अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) वर्ष 2022-23 के विद्यार्थियों के बैंक खाता को आधार सीडिंग अनिवार्य रूप से करने की सूचना”

—000—

वर्ष 2022-23 ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति का भुगतान भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत विद्यार्थियों के बैंक खाता क्रमांक को आधार से सीडिंग एवं N.P.C.I. Mapping Enable होने के पश्चात् ही विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति राशि हस्तान्तरित होगी। बिना बैंक खाता आधार सीडिंग के छात्रों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति राशि का भुगतान हो पाना संभव नहीं है।

जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, आई.टी.आई. एवं पालीटेक्निक आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है, को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25.06.2023 तक आप अपने बैंक शाखा में जाकर अनिवार्य रूप से बैंक खाते को आधार से सीडिंग कराये एवं NPCI Mapping भी Enable कराये। ताकि छात्रवृत्ति राशि खाते में हस्तान्तरण संबंधी कार्यवाही की जा सके।

बैंक खाता क्रमांक को विद्यार्थियों के द्वारा आधार से सीडिंग नहीं करने की स्थिति में छात्रवृत्ति राशि से वंचित रहते हैं तो इसके लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(श्रीमती मेनका चन्द्राकर)

सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास, जिला-बेमेतरा

बेमेतरा, दिनांक 16/6/2023

पृ. क्रमांक / 364 / आ.जा.क. / पो0मै0ऑन0 छात्र0 / 8 / 2023
प्रतिलिपि :-

01. आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. कलेक्टर, जिला बेमेतरा की ओर सादर सूचनार्थ।
03. उप संचालक, जन संपर्क, जिला बेमेतरा (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि कृपया उपरोक्त प्रेस-विज्ञप्ति को जिला स्तरीय बहु प्रसारित समाचार पत्रों (जिनकी पहुंच ग्रामीण अंचलों तक हो) में लगातार तीन दिवस तक प्रकाशित करने का कष्ट करें।
04. सर्व संस्था प्रमुख
जिला बेमेतरा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास, जिला-बेमेतरा